कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद

पत्र संख्या:–एफपी:/सीएफओ/ आई0–6/2015 दिनॉक मार्च 22–,2017

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

इलाहाबाद।

विषय:– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0 के खासरा नं0 15 ग्राम नारी बारी तहसील बारा जिला इलाहाबाद पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:– आपका पत्र संख्या 595 /ए0जे0ए0–1/2016 दिनॉक 11–05–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जो गाटा नं0 15 ग्राम नारी बारी तहसील बारा जिला इलाहाबाद पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0 के नये रिटेल आउटलेट हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के सम्बंध में प्रभारी अग्निशमन केन्द्र बारा श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण कराया गया तो उनसे प्राप्त आख्या में अंकित किया गया है। कि उक्त पेट्रोल पम्प भारत गैस एजेन्सी के गोदाम एवं आफिस से लगा हुआ है। इस बिन्दु पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड स्वयं निर्णय लें।

1–प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक पहुॅच सकते है।

2– वर्तमान समय में खाली प्लाट पडा है।

<u>प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं:–</u>

निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें प्रस्तावित की जाती है।

1–प्रत्येक आउटलेट पर 02–02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा आई0एस0आई मार्का स्थापित किया जाना चाहिए।

2–सेल्स स्टोर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाना चाहिए।

3–जनरेटर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाना चाहिए।

4–इलेक्टिक रूम में 02 अदद सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 4.5 किग्रा0 का स्थापित किया जाना चाहिए।

10/5/22

प्रशांत कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय
Varanasi Retail Regional
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
Hindustan Petroleum Corporation Limited

5–सेट बकेट 08 अदद मय स्टैण्ड लगाया जाना चाहिए।

6–धुम्रपान निषेध का बोर्ड मुख्य–मुख्य स्थानों पर लगाया जाना चाहिए ।

7–फायर स्टेशन का दूरभाष नं0 अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

8– रिटेल आउटलेट के तीन तरफ 1.8 मी0 का बाउड्रीवाल उठाकर पेट्रोल पम्प को सुरक्षित किया जाये।

9– सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फीटिंग एवं वायर आई0एस0 2140 के अनुसार लगाया जायेगा ।

10– पेट्रोलियम रूल के फार्म 14 के प्राविधानो का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए।

11– 11000 ली0 का वाटर टैंक लगाया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूर्ण रूपेण पालन करने के निर्देश के साथ इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है। कि रिटेल आउटलेट पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण करा कर अंतिम अनापत्ति प्रमाण लिया जाना अनिवार्य होगा।अन्यथा किया गया ,इकाई हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त् माना जायेगा । इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/प्रबन्धक की होगी।

22/3/17

(आई0के0तिवारी)
आई० के० तिवारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद

10/8/22

प्रशांत कुमार शुक्ला
Prashant Kumar Shukla
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager
वाराणसी क्षेत्रीय ...
Varanasi Retail ...
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ... लि.
Hindustan Petroleum Corporation Limited

प्रतिलिपिः–1–प्रभारी अग्निशमन केन्द्र बारा ,इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–आवेदक को अनुपालनार्थ हेतु।